भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3173**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि

3173. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरकों के मूल्य में प्रतिवर्ष निरंतर वृद्धि हो रही है जिसके कारण देश भर में अनेक किसान गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपनी खेती के लिए उर्वरकों को खरीदने में असमर्थ हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का खेती के लिए आवश्यक सभी प्रकार के उर्वरकों पर माल और सेवा कर को हटाने/कटौती/कम करने का कोई प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए सरकार ने 1.4.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, पीएण्डके उर्वरकों में निहित पोषक-तत्वों के आधार पर - उर्वरकों के आयात मूल्यों तथा देश में पोषकतत्वों की आवश्यकता, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, सब्सिडी और एमआरपी आदि जैसे अन्य संगत कारकों के आधार पर - वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

एनबीएस प्रणाली के अंतर्गत, पीएण्डके उर्वरकों के एमआरपी को मुक्त रखा गया है और उर्वरक उत्पादकों/विपणनकर्ताओं को उचित दरों पर एमआरपी नियत करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, नियंत्रणमुक्त सब्सिडीप्राप्त उर्वरकों का बाजार मूल्य मांग-आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। उर्वरक कंपनियों को बोरियों पर सब्सिडी सहित खुदरा मूल्य अंकित करना होता है। पिछले 05 वर्षों के लिए प्रमुख पीएण्डके उर्वरकों अर्थात डीएपी, एमओपी, एसएसपी, एनपीके 12-32-16, एनपीके 10-26-26 और एनपीके 20-20-0-13 का औसत एमआरपी **अनुलग्नक** में दिया गया है।

यूरिया के मामले में, यह किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किलोग्राम की बोरी का एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों और यथा लागू करों को छोड़कर) है और 01.03.2018 से आज तक एमआरपी अपरिवर्तित बनी हुई है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों की निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) और (घ): जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

जीएसटी परिषद ने 22 जून, 2024 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में इस मामले को समग्र रूप से विचार करने के लिए दरों के युक्तिसंगतीकरण संबंधी मंत्री समूह को भेज दिया है।

*****

दिनांक 09.08.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3173 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक

क्र.सं.	एनपीके उर्वरक ग्रेड	औसत एमआरपी (लगभग) (रु. प्रति मीट्रिक टन में)					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (24.07.2024 की स्थिति के अनुसार)
1	डीएपी (18-46-0-0)	26518.28	24966.78	25003.55	26939.94	27000	27000
2	एमओपी (0-0-60-0)	18981.04	17872.63	23338.42	34147.54	33987.88	32249.56
3	एसएसपी (0-16-0-11)	7848.25	8032.04	7294.57	10035.50	10628.23	10338.47
4	एनपीके 10-26-26	25750.94	24575.66	29751.24	29760.78	29394.92	29707.50
5	एनपीके 12-32-16	25734.16	24643.11	28733.24	31562.41	29865.16	29400
6	एनपीके 20-20-0-13	20707.05	19938.68	24652.55	28045.64	25275.63	25423.77

******